निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय, बिहार, पटना।

पत्रांक 3934
दिनांक 20/05/2025

☎ 0612–2330035
✉ sfocumdirector-bih@gov.in

प्रपत्र–ङ

File No.- 182/2024

औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र

बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–02 की उपधारा–(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15(च)(iii) के अन्तर्गत)

प्रेषक,
निदेशक,
राज्य अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना ।

सेवा में,
श्रीकांत सिन्हा,
पिता–स्व0 कृष्णा बल्लम नारायण
पूर्णियाँ

आवेदनकर्त्ता अभियंता, सुमन सौरभ (विशिष्ट आई.डी.नं0 BR/UDHD/CE/23-0100)

विषय :– भवन निर्माण के लिए औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत ।

महाशय,

राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के द्वारा गठित अग्नि सुरक्षा एवं निवारण स्कंध (FSPW) की संतुष्टि के उपरान्त व उक्त समिति में शामिल विशेषज्ञों की अनुशंसा के आलोक में भवन निर्माणकर्त्ता श्रीकांत सिन्हा द्वारा प्रस्तावित भवन/ब्लॉक का निर्माण हेतु बिहार अग्निशमन सेवा नियममावली, 2021 के नियम 15(च)(iii) के अंतर्गत औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

प्रस्तावित भवन योजना से संबंधित भवन का नाम श्रीकांत सिन्हा, पिता–स्व0 कृष्णा बल्लम नारायण एवं अन्य, प्लॉट नं0–103,104/252,101/244,105,104,104क,ख,ग,घ,च,102क,ख, खाता नं0–18,19,10, थाना नं0–123/1, थाना+मौजा–मधुबनी, जिला–पूर्णियाँ, अधिभोग आवासीय, उप श्रेणी आवासीय, भवन की ऊँचाई 18.30 (मीटर में) फर्श क्षेत्र 3422.58 वर्गमीटर, भवन के तलों की संख्या 5, तलघर की संख्या 1, स्लिट/भूतल की संख्या 1, भवन के ब्लॉक की संख्या 1, प्रत्येक मंजिल का औसत अधिभोग भार 36, लिफ्ट की संख्या 2, फायर लिफ्ट की संख्या 0, रैम्प की संख्या 1, आपातकालीन शरण स्थल (रिफ्यूजी एरिया) की संख्या 0, फायर टावर की संख्या 1 है। राष्ट्रीय भवन संहिता के दिशा–निर्देश, स्थानीय भवन नियमावली एवं स्थानीय परिस्थिति के आधार पर निम्नलिखित सलाह/अनुशंसा के साथ भवन निर्माण योजना की स्वीकृति दी जाती है, जिसका अनुपालन संबंधित वास्तुविद्/भवन निर्माणकर्त्ता/भू–स्वामी के द्वारा किया जाएगा।

भवन योजना पर प्रतिहस्ताक्षर के बाद आपके अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाता है :–

(1) भवन निर्माणकर्त्ता द्वारा भवन के लिए खुली जगह (मीटर) (उत्तर 4.50 मी0, दक्षिण 6.50 मी0, पूर्व 4.50 मी0, पश्चिम 4.50 मी0) एवं पलायन के साधन (आंतरिक सीढ़ियों की संख्या 2, चौड़ाई 3.05 (मीटर)/बाहय सीढ़ियों की संख्या 1, चौड़ाई 2.75 (मीटर) प्रस्तावित किया गया है।

(2) **खुला स्थान एवं पहुँच–**

(क) भवन के चारो तरफ तत्समय प्रवृत भवन उपविधि एवं अन्य तत्संबंधी अधिनियम/नियम/विनियमन/स्थानीय आवश्यकता के अनुसार खुला स्थान होगा एवं अग्निशमन दस्ते के पहुँच एवं घुमाने के लिए न्यूनतम 3.60 मीटर जगह (भवन श्रेणी एवं निर्माण के अनुसार परिवर्तनीय) छोड़ा जाना चाहिए ।

(ख) भवन का पहुँच पथ मजबूत एवं चौड़ी हो जो 20 मिट्रिक टन अग्निशामक वाहन का भार आसानी से सहन कर सके।

(ग) भवन के प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.5 मीटर एवं ऊँचाई 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

(iii) सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में, स्वचालित वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। अपार्टमेंट भवनों के लिए विद्युत आपूर्ति में परिवर्तन हेतु हस्तचालित परिवर्तनीय स्वीच के माध्यम से यह व्यवस्था किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से लिफ्ट इस तरह से वायर्ड होगा कि बिजली की विफलता की स्थिति में भी यह जमीन स्तर तक आयेगा एवं दरवाजा आसानी से खुल सकेगा।

(iv) आग लगने की स्थिति में प्रति घंटा 30 बार हवा परिवर्तन करने हेतु स्मोक वेटिंग सिस्टम का समावेश सभी लिफ्ट सॉफ्ट में कर धुँआ निकासी हेतु व्यवस्था की जाएगी। यह इस प्रकार का डिजाइन किया जाएगा कि स्प्रींक्लर एवं फायर एलार्म क्रियाशील हो सके। सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में यह स्वचालित रूप से वैकल्पिक आपूर्ति के लिए कार्य करेगा।

(v) अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ लिफ्ट का संचार व्यवस्था बनाये रखने सहित अन्य सभी आवश्यकताएँ आई०एस० गुण स्तर के अनुरूप करना होगा, जिसमें भवन के लिफ्ट कार, अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ जुड़ी होनी चाहिए, जिससे संचार व्यवस्था बनी रहे।

(vi) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय–समय पर यथा संशोधित से संबंधित प्रावधानों का पालन करते हुए फायर लिफ्ट होना चाहिए जैसे 1200 वर्गमीटर के फर्श क्षेत्र के लिए एक फायर लिफ्ट होना चाहिए।

(ख) भवन में सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसे प्रत्येक मंजिल पर लैण्डिग भल्व के साथ डाउन कमर सिस्टम एवं होज रील, छत स्तर पर 900 एल०पी०एम० पम्प के साथ होगा। आई०एस० 2190/1992 तथा संबंधित विशिष्टियों का आई०एस०आई० मार्कड अग्निशमन यंत्र, फायर चेक दरवाजा, हस्तचालित कॉल अलार्म प्वाईन्ट, अग्नि सुरक्षा चमकीला संकेत एवं भवन निर्माण संहिता के अनुसार अन्य अग्नि निरोध उपाय किये जायेंगे।

(ग) तलघर में स्वचालित स्प्रींक्लर सिस्टम होना चाहिए एवं दो अलग–अलग निकास द्वार होना चाहिए।

(घ) भूतल जल स्टैटिक टैंक (20,000 लीटर से कम क्षमता का नहीं) स्वचालित रिफिलिंग की व्यवस्था के साथ हो, जहाँ अग्निशामक वाहन आसानी से पहुँच सके। ओभर हेड वाटर स्टैटिक टैंक (10,000 लीटर क्षमता से कम नहीं) अधिवास के पूर्व हो जाना चाहिए ।

(ङ) भवन के प्रत्येक मंजिल पर विद्युत केबुल सील होनी चाहिए ।

(च) भवन का कम्पार्टमेन्टेशन इस प्रकार होगा कि आग एवं धुँआ उसी क्षेत्र में सीमित रहेगा जहाँ अग्निकांड हुआ है तथा भवन के अन्य भागों में नहीं फैले ।

(छ) भवन के अलगाव दीवार एवं फ्लोर में खुला स्थान – ऐसे सभी प्रकार के तथ्यों पर ध्यान देना होगा जो आग एवं धुँआ के फैलाव को इन खुला स्थानों में प्रवेश को सीमित कर सके और बनावट का फायर रेटिंग बरकरार रह सके। सभी दीवार में खुला स्थान न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग के अग्नि निरोधक दरवाजा से सुरक्षित रहेगा। मंजिलों में सभी खुला स्थान Vertical Enclosure से सुरक्षित रहेगा एवं ऐसे Enclosure का दीवार न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग का होगा ।

(ज) मंजिलों के प्रत्येक Vertical Openings यथोचित रूप से बंद एवं सुरक्षित रहेगा तथा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की जाएगी :–

(i) पलायन के रास्ता का प्रयोग करते वक्त अधिवासियों को मंजिल दर मंजिल खुले स्थान से आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए प्रर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिवासियों के निकासी मार्ग में कम से कम 21 मिली मीटर का उपरी भाग खुला हो।

(ii) दो घंटें की फायर रेटिंग का अग्नि दरवाजा बाहर भागने/निकलने के रास्ते एवं लिफ्ट में प्रवेश के रास्ते तथा सीढ़ी पर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए दिया जाएगा।

(iii) निकासी मार्ग का सुरक्षित प्रयोग हेतु स्मोक वेन्टिंग सुविधा प्रदान किया जाएगा ।

(iv) आंतरिक सजावट से जहरीला धुँआ के उत्पन्न होने से बचाने हेतु धुँआ निरोधी सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा ।

(v) भवन के निकासी मार्ग (सीढ़ी एवं कोरिडोर) का रौशनीकरण/सीढ़ियों का प्रेसराईजेशन/तलघर का वेन्टीलेशन राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय–समय पर यथा संशोधित के अनुसार करना होगा ।

(vi) एयर कंडिशनिंग एवं वेन्टीलेशन सिस्टम को इस प्रकार अधिष्ठापित किया जाएगा, जिससे आग एवं धुँआ एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर और भवन से बाहर नहीं फैल सके। एयर फिल्टर में आग लगने पर धुँआ को फैलने से बचाने के लिए स्मोक सेन्सिटीव डिवाईस भवन में होना चाहिए। प्रत्येक तल पर आग और धुँए के हजार्ड से बचाने के लिए प्रत्येक तल पर अलग–अलग एयर हैंडलिग यूनिट होना चाहिए। फायर डंपर्स को ए०सी० सिस्टम में प्रदान किया जाएगा, ताकि आग की स्थिति में स्वचालित रूप से बंद हो सके और इस तरह अग्नि/धुँआ का फैलाव रोका जा सके।

Scanned with OKEN Scanner

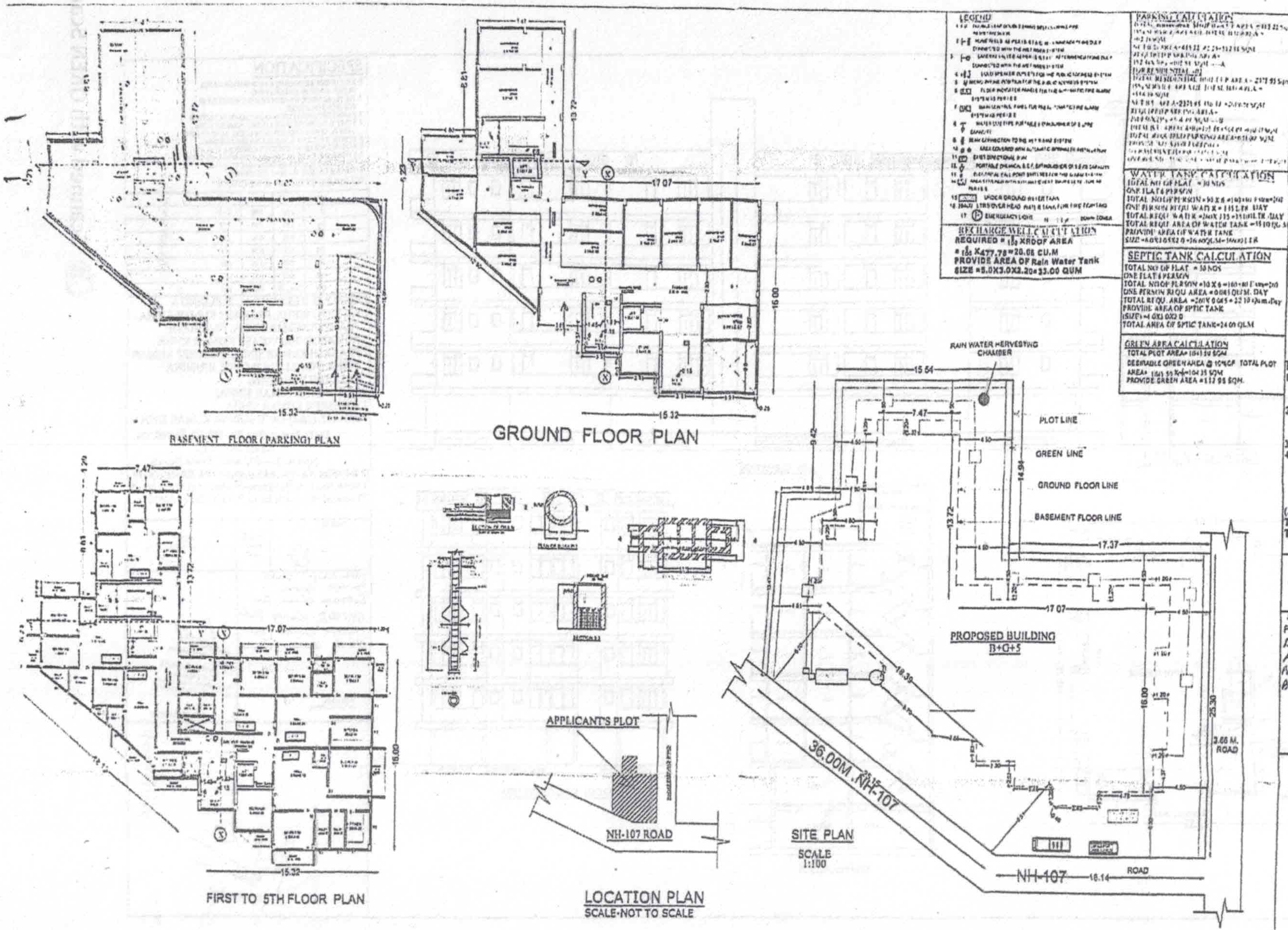

SPECIFICATION

1. R.C.C. UNDER REAMED PILE FOUNDATION AS PER DETAIL GIVEN IN THIS DRAWING.
2. 1ST CLASS BRICK WORK IN CEMENT MORTAR IN SUPER STRUCTURE.
3. HEIGHT OF PLINTH FLOOR AREA SHOWN IN SECTION.
4. FLOORING OVER ... OVER FLAT BRICK SOLING ... LOCAL SAND FILLING
5. ... ALL ROUND THE BUILDING
6. ... OVER ... R.C.C. SLAB
7. ... R.C.C. BAND AT DOORS & WINDOWS OPENING
8. ... CEMENT PLASTER ON BOTH SIDE OF WALL
9. WHITE & COLOUR WASH AS PER CHOICE

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

SL.NO	TYPE	WIDTH	SILL	HEIGHT
1	D	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	W1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	W2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	W3	[illegible]	[illegible]	[illegible]

AREA STATEMENT

TOTAL PLOT AREA	= 1041.50 S[illegible]
BASEMENT FLOOR PLAN	= [illegible]
GROUND FLOOR B.U AREA	= 415.23 S[illegible]
1ST FLOOR B.U AREA	= 475.19 S[illegible]
2ND FLOOR B.U AREA	= 475.19 S[illegible]
3RD FLOOR B.U AREA	= 475.19 S[illegible]
4TH FLOOR B.U AREA	= 475.19 S[illegible]
5TH FLOOR B.U AREA	= 475.19 S[illegible]
TOTAL BUILT UP AREA	= [illegible]

F A R ACHIEVED = 2.647

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING :-
1. SRI KANT SINHA, PRAKASH KUMAR SI[illegible] PRADEEP KUMAR SINHA, PRABHASH KUMAR SINHA, VIKASH KUMAR SINHA
2. PRAKASH KUMAR SINHA, PRADEEP KU[illegible] SINHA S/O-ALL-(1&2)-LATE KRISHNA BALLABH NARAYAN.
3. DEWANSHU KUMAR SINHA,
4. ABHISHEK KUMAR SINHA S/O-ALL (3&4)-LATE SUDHIR KUMAR SI[illegible]

At.(1)-Survey Plot No.-103,[illegible],10[illegible] Khata No.-18,19.
(2)-Plot No.-102.k.kh. Khata No.-1[illegible]
(3&4)-Plot No.-104.k,kh,g,gh,ch,105, Khata [illegible]
Thana No.-123/01, Mauza-Madhubani,Ward [illegible]
Thana-Madhubani, Dist.- Purnia.(Bihar-854[illegible]

NORTH	SCALE 1:100 1:200	SHEET NO -01

SIGNATURE OF LANDOWNERS

SIGN OF ARCHITECT

Er. Suman Sa[illegible]

Dated [illegible]